(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 10/2021-संघराज्यकर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर, 2021

सा.का.नि. ..... (अ)- संघराज्यमाल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14), की धारा 7 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 4/2017-संघराज्यकर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 713 (अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणीमें, क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियोंके पश्चात, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

“3क	3301 24 00, 3301 25 10, 3301 25 20, 3301 25 30, 3301 25 40	खट्टे फलों के अलावा निम्नलिखित आवश्यक तेल, यथा:- क. पुदीना का (मेंथा पिपेरिटा); ख. अन्य मिंट का: स्पीयर मिंट तेल (एक्स मेंथा स्पीकाटा), वाटर मिंट-तेल (एक्स मेंथा एक्वेटिक), हॉरसमिंट तेल (एक्स-मेंथा साइलवेस्ट्रीज), बीरगामेंट तेल (एक्स मेंथा सिटरेट)।	कोई अपंजीकृत व्यक्ति	कोई पंजीकृत व्यक्ति ।”;

2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2021 से लागू होगी ।

[फा.सं. 190354/206/2021-टीआरयू]

(राजीव रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 4/2017-संघराज्यकर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.नि. 713 (अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 11/2018-संघराज्यकर (दर), दिनांक 28 मई, 2018, जिसे सा.का.नि. 505(अ), दिनांक 28 मई, 2018, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।